

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिहपुरी ग्राम कालू पुत्र उशमान खं

प्रकरण अन्तर्गत गांव काएलवार एक्ट

प्रकरण संख्या :- 69/2018

निर्णय दिनांक 13-4-18

प्रमाणकी प्रतीति हुई। प्रकरण संख्या व इस प्रकार है कि ग्राम टिहपुरी की आ.स.न. 206 कुल रकबा 0.66 किस्म जमीन गो.कु.रस्ता का 0.01 रकबा पर श्री कालू पुत्र उशमान खं ने अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण कर बड़ा लकड़ी डाल्फ काया कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिहपुरी द्वारा दिनांक 14-2-18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तहसिल भू.अ.निरी. टिहपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण उच्च नजिरदार किम्बू जाकर अतिरिक्ती कालू पुत्र उशमान खं के मेव निवासी टिहपुरी को न. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का लक्ष नोटिस जारी किये गये नोटिस की तारीख कसई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शर्तिल प.सवली किया गया। अतिरिक्ती म्य वकील उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल प.सवली है।

उक्त रकबा आ.स.न. 206 रकबा 0.66 म.स. 0.01 रकबा किस्म गो.कु.रस्ता है जो नियमानुसार कालू पुत्र उशमान खं के नाम पर कालू पुत्र उशमान खं से बंदखल किया जाने के आदेश दिनांक 14-2-18 एवं बंदखल स्वरूप नम्बर 0.67 रु का 50 गुना 44 रु रुपये पैनल्टी आरोपित की गयी है मांगा कायमी हेतु गो.कु.रस्ता को लिखा जाव पैनल्टी बसूली एवं बंदखली हेतु हस्तल प.सवली टिहपुरी भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तकमील अंततल दफतर हो। निर्णय सुने न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) (संज.)